77

संख्या : 67/XIII-II/2013-17(08)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
भरसार, (पौड़ी गढ़वाल)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 05 जून 2013

विषयः भरसार विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व निर्मित मार्ग/सड़क के पुनर्नवीनीकरण/अनुरक्षण कार्य एवं वी.आई.पी. गेस्ट हाउस, कुलपति कैम्प कार्यालय एवं आवास के लिए पहुँच मार्ग/सड़क निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रशासकीय, वित्तीय एवं धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : यू.यू.एच.एफ./वी.सी./डी.पी.आर./2012/313 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम, देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹ 320.05लाख {₹ 318.63लाख + ₹ 01.42लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} की तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत **₹ 317.44लाख** {₹ 316.02लाख + ₹ 01.42लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य)} **(₹ तीन करोड़ सत्रह लाख चौवालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, शासनादेश संख्या 366/XIII(2)/2013-10(08)/2012 दिनांक 28.3.2013 के द्वारा निवर्तन पर पी0एल0ए0 में रखी गई धनराशि ₹ 1984.53लाख के सापेक्ष व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1). उक्त कार्य कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम, देहरादून द्वारा गठित उक्तानुसार आगणन/डी.पी.आर. के आधार पर ही कार्य देने के पूर्व शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध अवश्य निष्पादित करा लिया जाय।
2). उक्त स्वीकृति वार्षिक योजना 2012–13 के अन्तर्गत भारत सरकार, योजना आयोग से प्राप्त विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।
3). उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किये जाएंगे एवं आगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य न होगा।
4). मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
5). धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6). स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2014 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
7). स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
8). कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

क्रमशः

9). आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10). कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

11). कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

12). एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

13). आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

14). कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।

15). कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

16). उक्त अनुदान का देयक भरसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 18(पी)/XXVII(4)/2013 दिनांक : 28 मई, 2013 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 67(1)/XIII(2)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1). महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2). महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3). जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4). मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5). वित्त नियंत्रक, भरसार विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
6). परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम, देहरादून।
7). परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
8). बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9). वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10). नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11). निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

A. Sing

(महावीर सिंह)
अनुसचिव।